न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 78 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 322

1. नारायण सिंह पिता श्री जवानसिंह जी जाति राजपुत निवासी बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ राज.

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार साहब निम्बाहेडा ज़िला चितौडगढ राज.

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– लक्ष्मणसिंह सौलंकी – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार स्वयं उपस्थित– विपक्षी संख्या 1

:: निर्णय :: दिनांक 16.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके मोजा बडोली माधोसिंह हल्का पटवार क्षेत्र बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की आ.नं. 1125 क्षेत्रफल 0.3700 हेक्टेयर में पांच अलग अलग हिस्सेदार हैं लेकिन सहवन से काश्तकार सं. 3 में नारायण सिंह पिता गोटूसिंह अंकित हो गया जब कि नारायण सिंह के पिता का नाम जवान सिंह जी है। नारायण सिंह पिता गोटूसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। नारायण सिंह के पिता जवान सिंह जी की जगह सहवन से पिता के स्थान पर गलत नाम गोटूसिंह दर्ज हो गया है जिसे दुरुस्त कर गोटूसिंह के नाम पर पिता का नाम जवान सिंह अंकित करावें।

2. प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अन्य खाते में सभी जगह नाम नारायणसिंह पिता जवानसिंह है। नारायण सिंह के पिता का नाम गोटूसिंह जी गलत अंकित हो गया जिसे शुद्ध कर जवान सिंह किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1125 में नारायण सिंह के पिता गोटूसिंह के स्थान पर दुरूस्थ कर पिता का नाम गोटूसिंह के बजाय जवान किया सिंह किया जावे।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अनुशंषा मय रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2077–80 ग्राम बडौली[illegible] 235 के आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री देवीसि[illegible] 64 / 925, नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64 / 925, ना[illegible] 271 / 925, भारतसिंह पिता गोटूसिंह 1 / 4, शंकरसिंह पिता [illegible] 127 / 3700 जाति राजपू[illegible] वना पत्नी गोपाल 263 / 965 जाति राजपूत सा0देह द[illegible] रेकार्ड है। नवीन [illegible]ध मिसल बंदोबस्त जमाबन्दी में खाता संख्या 105 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर खातेदार श्री देवीसिंह, नारायणसिंह,शंकरसिंह, जवानसिंह, मु0 उदय कुवंर पत्नि स्वं जवानसिंह राजपूत, सा0 देह हि0स खातेदार, दर्ज रेकार्ड है इसके नामान्तरकरण संख्या 1238 से मृतक उदय कंवर के बजाए देवीसिंह, नारायणसिंह, शंकरसिंह, निहाल कंवर,

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

नारायण कुंवर, नन्दा कुवर, गेन्दा कुवर पिता जवान सिंह के नाम दर्ज हुआ। उसके बाद जमाबन्दी सम्वत 2069–72 ग्राम बडौलीमाधोसिंह में खाता संख्या 238 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर खातेदार श्री भावना पत्नि गोपाल धाकड 33/116, नारायणसिंह 34/116, भारतसिंह पिता गोटूसिंह 29/116 ,शंकरसिंह 4/116, नारायण कुवर,नन्दा कुवर,गेन्दा कुवर पिता जवानसिंह,गेन्दाकुवर, पिता जवानसिंह 16/116 सा0देह राजपूत खातेदार के नाम दर्ज हुआ। बैंक रहन बदस्तुर हिस्सा भावना व भरतसिंह का इसमे भरतसिंह पिता गोटूसिंह राजपूत का ही नाम सही है लेकिन नारायणसिंह व भारतसिंह को एक साथ लिखने से सहवन से नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 34/116 व भारतसिंह पिता गोटूसिंह 29/116 राजपूत दर्ज हो गया जो कि नारायण सिंह पिता जवानसिंह राजपूत होना चाहिये था। इसके बाद जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम बडोलीमाधोसिंह की खाता संख्या 240 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर भी इसी प्रकार दर्ज रिकार्ड रहा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2077–80 में खाता संख्या 235 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर में नामान्तरकरण संख्या 753 स्वीकृत दिनांक 20.03.2023 दान से खाता निम्न प्रकार से दर्ज हुआः–
श्री देवीसिंह पिता जवानसिंह 64/925 राजपूत सा0 देह नारायणसिंह पिता जवानसिंह 64/925 राजपूत सा0 देह , नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत, भारतसिंह पिता गोटूसिंह 1/4 राजपूत सा0 देह, शंकरसिंह पिता जवानसिंह 127/3700 राजपूत सा0 देह, भावना पत्नि गोपाल 263/925 राजपूत सा0 देह दर्ज रेकार्ड है। इसमे खातेदार श्री नारायणसिंह पिता जवानसिंह 64/925 राजपूत सही नाम दान पत्र से दर्ज हुआ है एवं नारायण सिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत नाम गलत दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड की विवेचना अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2077–80 में खाता संख्या 235 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि में खातेदार श्री नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64/925 व नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत को सही दर्ज कर श्री नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64/925 व नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत को सही दर्ज कर श्री नारायणसिंह पिता जवानसिंह राजपूत $\frac{64}{925}+\frac{271}{925}=\frac{335}{925}$ हिस्सा दर्ज किया जाना सही है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र

अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात वाके मोजा बडोलीमाधोसिंह के खाता संख्या 235 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि में खातेदार श्री नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64/925 व नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत को सही दर्ज कर श्री नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64/925 व नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत को सही दर्ज कर श्री नारायणसिंह पिता जवानसिंह राजपूत $\frac{64}{925} + \frac{271}{925} = \frac{335}{925}$ हिस्सा दर्ज किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मोजा बडोलीमाधोसिंह के खाता संख्या 235 में आराजी नम्बर 1125 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि में खातेदार श्री नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64/925 व नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत को सही दर्ज कर श्री नारायण सिंह पिता जवानसिंह 64/925 व नारायणसिंह पिता गोटूसिंह 271/925 राजपूत को सही दर्ज कर श्री नारायणसिंह पिता जवानसिंह राजपूत $\frac{64}{925} + \frac{271}{925} = \frac{335}{925}$ हिस्सा दर्ज किए जाने का आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested